भारत सरकार
सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय
राज्य सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या: 2851
उत्तर देने की तारीख: 12.08.2026

अंतर-जातीय विवाह के लिए अनुदान

2851. श्री राघव चड्ढा:

क्या **सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) विगत तीन वर्षों के दौरान 'अंतर-जातीय विवाह के माध्यम से सामाजिक एकीकरण के लिए डॉ.अंबेडकर योजना' के अंतर्गत वित्तीय सहायता प्राप्त करने वाले लाभार्थियों की संख्या कितनी है और तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;
(ख) प्रत्यक्ष लाभ अंतरण के माध्यम से इस योजना के तहत आवंटित और जारी की गई धनराशि कितनी है;
(ग) उक्त योजना के तहत आवेदन और मंज़ूरी की प्रक्रिया को आसान बनाने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं; और
(घ) योजना के तहत आवेदनों के निपटारे में लगने वाले औसत समय का ब्यौरा क्या है?

उत्तर
सामाजिक न्याय और अधिकारिता राज्य मंत्री
(श्री रामदास आठवले)

(क) से (घ): अंतर-जातीय विवाह के माध्यम से सामाजिक एकीकरण के लिए डॉ. अंबेडकर योजना और अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के अत्याचार पीड़ितों के लिए डॉ. अंबेडकर राष्ट्रीय राहत योजना का सामाजिक न्याय और अधिकारिता विभाग की केंद्र-प्रायोजित योजना अर्थात सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम, 1955 तथा अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम, 1989 के कार्यान्वयन की योजना में विलय 31.03.2023 से कर दिया गया है, ताकि योजनाओं के कार्यान्वयन में दोहराव से बचा जा सके।

सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम, 1955 और अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम, 1989 के कार्यान्वयन की केंद्र प्रायोजित योजना के तहत राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्रों को केंद्रीय सहायता दी जाती है। इस योजना को संबंधित राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्रों के प्रशासनों द्वारा लागू किया जाता है और इसके प्रभावी कार्यान्वयन की जिम्मेदारी उन्हीं की होती है।

इसके अलावा, डॉ. अंबेडकर प्रतिष्ठान ने विलय से पहले शुरू हुई अंतर-जातीय विवाह के माध्यम से सामाजिक एकीकरण के लिए डॉ. अंबेडकर योजना से जुड़े लंबित मामलों पर कार्रवाई जारी रखी और इस संबंध में आर्थिक सहायता प्रदान की है। तदनुसार, 457 लाभार्थियों को 10.66 करोड़ रुपये की वित्तीय सहायता जारी की गई है। विगत तीन वर्षों का वर्ष-वार विवरण निम्नानुसार है:

वर्ष	लाभार्थियों की संख्या
2023-24	68
2024-25	11
2025-26	378
